

3838 A(4)
06/07/22

हरियाणा सरकार
गृह विभाग
आदेश

ACSSC (Bury)

क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय)

दिनांक, चण्डीगढ़:

FA/ACSSC
07-6-22

चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है।

ACSSC (Bury)
8-6-22
01.07.22

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 11/07/2022 से 11/09/2022 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।

Addl. Secy Admin

Not for Co-2 Br
दिनांक, चण्डीगढ़: 11/7/22
For Admin Br

(राजीव अरोड़ा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

S/Co-2

पृष्ठांकन क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय)

दिनांक, चण्डीगढ़: 4-6-2022

AD-2
(Admin)

एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि इन आदेशों को राज्य के राजपत्रित गजट में छपवा दिया जाए तथा इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भेजी जाएं।

PS/09/22

-sd-
अधीक्षक, गृह (गोपनीय)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

05/07/22

पृष्ठांकन क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय)

दिनांक, चण्डीगढ़: 06/06/2022

ADMS (Bury)
05/07/22

एक प्रति हरियाणा के सभी जिलाधीशों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। कृपया इसकी पावती भेजें।

-sd-
अधीक्षक, गृह, (गोपनीय)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

AD Admin
S. Admin

पृष्ठांकन क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय)

दिनांक, चण्डीगढ़: 6-6-2022

AD Admin
S. Admin

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

- 1 सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार।
- 2 आयुक्त, अम्बाला/हिसार/रोहतक/गुरुग्राम/करनाल/फरीदाबाद मण्डल।
- 3 विधि परामर्शी एवं सचिव, हरियाणा सरकार, विधायी विभाग।
- 4 पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकुला।
- 5 महानिदेशक, जेल हरियाणा, सैक्टर-14, पंचकुला।
- 6 पुलिस महानिरीक्षक, हिसार/अम्बाला/रोहतक/करनाल/दक्षिण रेंज, रिवाड़ी।
- 7 पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा।
- 8 राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षक।

-sd-
अधीक्षक, गृह (गोपनीय)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग। kb.